APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम.....कोटा

रामूर्ति बाई ....बनाम..........सरकार

मा..........136 LR..........नं. .....132.....सन्.....2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/1/26	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी ग्राम कैथोड़ी पटवार हल्का मोरपा में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 43 के खसरा नं0 94/257 की रकबा 0.1300 है0, खसरा नं0 98 रकबा 3.58 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.7100 है0 आराजी स्थित चली आ रही है। उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजी में प्रार्थीया का हिस्सा 1/45 दर्ज है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में मूर्ति बाई पुत्री देवीलाल अंकित है जो कि प्रार्थीया का बोलता नाम है। प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजात जनाधार कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र में प्रार्थीया का नाम राममूर्ति बाई दर्ज है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कृषि आराजी ग्राम कैथोड़ी पटवार हल्का मोरपा में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 43 के खसरा नं0 94/257 की रकबा 0.1300 है0, खसरा नं0 98 रकबा 3.58 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.7100 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम मूर्ति बाई के स्थान पर राममूर्ति बाई दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि ग्रामवासियान से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूर्ति बाई का वास्तविक नाम राममूर्ति बाई है, मूर्ति बाई बोलता हुआ नाम है। बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथा पैन कार्ड एवं अन्य संलग्न दस्तावेज पत्र की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया मूर्तिबाई पुत्री देवीलाल एवं राममूर्ति पुत्री देवीलाल एक ही महिला के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम कैथोड़ी पटवार हल्का मोरपा में स्थित आराजी खाता संख्या नया 43 के खसरा नं0 94/257 की रकबा 0.1300 है0, खसरा नं0 98 रकबा 3.58 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.7100 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मूर्ति बाई पुत्री देवीलाल के स्थान पर मूर्ति बाई उर्फ राममूर्ति बाई पुत्री देवीलाल दर्ज किया जावे। उक्त निर्णय आज दिनाकः21/1/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। गजेन्द्र सिंह	